2010:CGHC:12340-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 637/1991

भानु व अन्य

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

विचार हेतु निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के.अग्रवाल

मैं सहमत हूँ ।

सही/-
एन.के. अग्रवाल
न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनाँक 09 अप्रैल,2010 को सूचीबद्ध करें ।

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 637/1991

युगलपीठः

कोरम: माननीय **श्री टी.पी.शर्मा** एवं

माननीय **श्री एन.के.अग्रवाल**, न्यायाधीशगण

अपीलार्थीगण (जेल में)	1. भानु, पिता भागबली, आयु लगभग 25 वर्ष। 2. मनोरथ, पिता गंगाराम सतनामी, आयु लगभग 25 वर्ष। 3. प्रेमदास, पिता बिहारी, आयु लगभग 35 वर्ष। 4. दसरू, पिता बिहारी, आयु लगभग 33 वर्ष। 5. जगदीश, पिता इतवारी, आयु लगभग 23 वर्ष। 6. शैला, पिता जीवन सतनामी, आयु लगभग 24 वर्ष। 7. पीला, पिता अर्जुन सतनामी, आयु लगभग 25 वर्ष। 8. सुखचैन, पिता भोला सतनामी, आयु लगभग 45 वर्ष। 9. चैतिया, पिता घसिया सतनामी, आयु लगभग 35 वर्ष। 10. तिजाऊराम, पिता करण सतनामी, आयु लगभग 23 वर्ष। 11. त्रिलोचन, पिता करण सतनामी, आयु लगभग 26 वर्ष। (दण्ड पूर्ण होने और परिधर किए जाने के कारण, अपीलार्थी क्रमांक 1 से 11 की अपील वापस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है।) 12. चंद्रभान, पिता गंगाराम सतनामी, आयु

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

	लगभग 19 वर्ष। 13. जीवन, पिता कार्तिक सतनामी, आयु 60 वर्ष। 14. चैतराम, पिता मंगला, आयु लगभग 50 वर्ष। 15. तीरथराम, पिता जमुना सतनामी, आयु लगभग 50 वर्ष। 16. बोधिराम, पिता वसिया सतनामी, आयु लगभग 50 वर्ष। (दण्ड पूर्ण होने और परिधर किए जाने के कारण, अपीलार्थी क्रमांक 13 से 16 की अपील वापस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है।) 17. बिराजो बाई, पति जीवन सतनामी, आयु लगभग 48 वर्ष। क्रमांक 1 से 17 सभी निवासी ग्राम सोनपुर, पुलिस थाना लालपुर, जिला बिलासपुर, मध्य प्रदेश (अब छ.ग.) 18. माधव, पिता हिरवा सतनामी, आयु लगभग 40 वर्ष। 19. दयाल, पिता गंगाराम सतनामी, आयु लगभग 28 वर्ष। 20. चदरू, पिता करण, आयु लगभग 24 वर्ष। 21. तिलक, पिता गणेश सतनामी, आयु लगभग 45 वर्ष। 22. भलाऊ, पिता अर्जुन सतनामी, आयु लगभग 25 वर्ष। सभी निवासी: ग्राम सोनपुर, थाना लालपुर, जिला बिलासपुर, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) (दण्ड पूर्ण होने और परिधर किए जाने के कारण, अपीलार्थी क्रमांक 18 से 22 की अपील वापस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

प्रत्यर्थी	मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अधीन प्रस्तुत दाण्डिक अपील)

उपस्थित:-

अपीलार्थी क्रमांक 12 चंद्रभान की ओर सेः श्री धीरेन्द्र पाण्डेय,अधिवक्ता

अपीलार्थी क्रमांक 17 बिराजो बाई की ओर सेः श्री जी.पी. कुर्रे,अधिवक्ता

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर सेः श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(निर्णय)

(उद्घोषित करने का दिनाँक 9 अप्रैल, 2010)

न्यायालय का निर्णय **न्यायमूर्ति टी.पी. शर्मा** द्वारा उद्घोषित किया गया:-

1. इस अपील में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 156/86 में दिनांक 11.5.91 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 25 अभियुक्तों को सदोष माननवध कारित करने के सामान उद्देश्य से विधिविरुद्ध जमाव कर बलवंत, सावंत और विश्राम (अब मृतक) की हत्या कारित करने हेतु दोषसिद्ध किया है, वे घातक आयुधों से सुसज्जित थे और वेदराम और संतोष को उपहति कारित करने के लिए और विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में,

अपीलार्थीगण और विधिविरुद्ध जमाव के अन्य सदस्यों ने बलवंत, सावंत और विश्राम का सदोष माननववध कारित किया है और वेदराम को धारदार आयुधों से उपहति कारित की है और संतोष को साधारण उपहति पहुंचाई है, अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 302/149, 302/149, 324/149 और 324/149 और अभियुक्त भानु को आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन सिद्धदोष किया है और उन्हें क्रमशः आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, एक वर्ष के सश्रम कारावास, एक वर्ष के सश्रम कारावास, एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. दोषसिद्धि इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बलवंत सावंत और विश्राम की हत्या कारित करने और अन्य लोगों को उपहति पहुंचाने के सामान उद्देश्य सहित विधिविरुद्ध जमाव के गठन के लिए पर्याप्त विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्य के अभाव में, और विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा हत्या और उपरोक्त उपहति पहुंचाने के सामान उद्देश्य के अग्रसरण में, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को उपरोक्तानुसार सिद्धदोष व दण्डित किया है और इस प्रकार अवैधता कारित की है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि गंगाराम की हत्या कारित करने के उपरांत, अपीलार्थी और मृतक बलवंत, सावंत, विश्राम और उनके परिवार वेदराम, लोकोराम, कोमलनारायण, शत्रुघ्न, फगूराम दामला, और जय सिंह गोंड की शत्रुता

थी। मृतक सावंत, मृतक विश्राम और मृतक बलवंत गंगाराम हत्या प्रकरण में अभियुक्त थे, दिनाँक 8.12.85 के घटना के दिन, कुटेलियाबाई (अ.सा.-17), मृतक सावंत और संतोष लगभग 4 बजे खेत में तिवरा की फसल काट रहे थे, अभियुक्त बिराजो चिल्लाया और अन्य अभियुक्तों को बुलाया कि दौडो-दौडो तेली भइुए अकेले अपने खेत में तिवरा काट रहे हैं। बिराजो की आवाज सुनकर, सभी अपीलार्थी खेत में पहुंचे, अभियुक्त भानु के हाथ में बंदूक थी और बाकी अभियुक्तों के हाथ में कुल्हाड़ी और लाठी थी, अपीलार्थी चिरौंजी के हाथ में पिस्तौल थी, कुटेलियाबाई ने देखा कि अभियुक्तगण उसकी ओर आ रहे हैं, तब कुटेलियाबाई, सावंत (जो अब मृतक है) और संतोष ने खेत से भागने का प्रयास किया, किंतु अभियुक्तों ने उन्हें घेर लिया और सावंत पर लाठी और कुल्हाड़ी से हमला किया, कुटेलियाबाई ने अभियुक्तों से मारपीट न करने का अनुरोध किया, किंतु अभियुक्तों ने सावंत की गर्दन काट दी, अभियुक्त भानु ने सावंत पर गोली चला दी, संतोष सहायता के लिए चिल्लाया, तब एक अन्य मृतक बलवंत और विश्राम, साक्षी वेदराम, खोरबहरा और पंचराम घटनास्थल पर पहुंचे, अपीलार्थीगण ने उन पर भी लाठी और कुल्हाड़ी से हमला किया। अभियुक्त भानु ने विश्राम पर बंदूक से गोली चला दी, विश्राम गिर गया, फिर अन्य अभियुक्तों ने विश्राम पर हमला किया, अभियुक्त भागवत ने अभियुक्त भानु को बलवंत को मारने का निर्देश दिया, फिर चिरौंजी ने पिस्तौल से बलवंत पर गोली चला दी अभियुक्त डमला, दशरू, मनोरथ और जगदीश ने बलवंत पर कुल्हाड़ी से हमला किया और उसका पैर काट दिया, वेदराम घटनास्थल से भाग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गया और घर के अंदर चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अपराध कारित करने के उपरांत, अपीलार्थी/अभियुक्त घटनास्थल से चले गए। सावंत, बलवंत और विश्राम की तत्काल घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। आवाज सुनने के बाद, कोटवार मिलौदास (अ.सा.-16) घटनास्थल पर पहुंचे, कुटेलियाबाई घटनास्थल पर मौजूद थीं जिन्होंने मिलौदास को घटना सुनाई, मिलौदास पुलिस थाना गया और प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.66 दर्ज कराया । मर्ग सूचना प्र.पी.67 से प्र.पी/70 तक दर्ज किया गया। विवेचना अधिकारी घटनास्थल पर गए और प्र.पी.1 से प्र./3 के अनुसार साक्षियों को आहुत करने के पश्चात, सावंत, बलवंत और विश्राम के शवों की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्र.पी.4 से प्र./6 के अनुसार तैयार की गई। मृतकों के शवों को प्र.पी.39, प्र./40 और प्र./41ए के अनुसार शासकीय अस्पताल, मुंगेली में शवपरीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. एस.एस. सिसोदिया (अ.सा.-9) ने प्र.पी.39ए के अनुसार मृतक सावंत का शवपरीक्षण किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

i) बाएँ पैर में फ्रैक्चर:

ii) बाएँ पैर पर एक कटा हुआ घाव। पैर कटा हुआ था;

iii) दाएँ पैर पर क कटा हुआ घाव5 सेमी **x** 2 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक कटा हुआ घाव:

iv) दाएँ पैर पर 9 सेमी **x** 3 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक कटा हुआ घाव:

v) दाएँ हाथ पर 9 सेमी **x** 3 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक कटा हुआ घाव;

vi) दाएँ कोहनी के जोड़ पर 8 सेमी **x** 3 सेमी **x** मांसपेशी की गहराई तक कटा हुआ घाव।

vii) दाएँ अग्रबाहु पर 9 सेमी **x** 3.5 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक कटा हुआ घाव:

viii) बाएँ अग्रबाहु पर 7 सेमी **x** 2 सेमी **x** मांसपेशी की गहराई तक, 6 सेमी **x** 2 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक और 5 सेमी **x** 2 सेमी **x** मांसपेशी की गहराई तक कटा हुआ घाव, दोनों हड्डियाँ टूटी हुई थीं:

ix) गर्दन कटी हुई थी और सिर शरीर से अलग हो गया था;

x) दाएँ जबड़े पर 6 सेमी **x** 1 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक कटा हुआ घाव। दो दांत टूटे हुए थे;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

xi) 7 सेमी **x** 2 सेमी **x** हड्डी की गहराई का कटा हुआ घाव, जिसमें मैक्सिला हड्डी का फ्रैक्चर भी शामिल है।

xii) चेहरे पर 14 सेमी **x** 2 सेमी **x** हड्डी की गहराई और 12 सेमी **x** 2 सेमी **x** हड्डी की गहराई के दो कटे हुए घाव, मस्तिष्क के पदार्थ बाहर निकल रहे थे।

xiii) सीने पर 13 सेमी **x** 1.5 सेमी की सूजन। खोपड़ी के आंतरिक अंग कटे हुए पाए गए।

डॉ. एस.एस. सिसोदिया (अ.सा.-9) ने मृतक विश्राम के शव का प्र.पी/40ए के अनुसार शव परीक्षण किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:

i) बाएँ पैर की दोनों हड्डियों के फ्रैक्चर सहित 12.5 सेमी **x** 3 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक कटा हुआ घाव:

ii) बाएँ पैर की दोनों हड्डियों के फ्रैक्चर सहित 9 सेमी **x** 3 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक कटा हुआ घाव;

iii) दाएँ कंधे के फ्रैक्चर सहित 12 सेमी **x** 3.5 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक कटा हुआ घाव:

iv) दाएँ हाथ के फ्रैक्चर सहित 8 सेमी **x** 2 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक और 7 सेमी **x** 2.5 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक दो कटा हुआ घाव:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

v) दाएँ हाथ पर 5 सेमी **x** 1 सेमी की खरोंच;

vi) सीने के पिछले हिस्से पर 5 सेमी **x** 2 सेमी से 14 सेमी **x** 2 सेमी तक कई चोट के निशान;

vii) शरीर पर 5 सेमी **x** 5 सेमी के कई काले धब्बे, विशेष रूप से नितंब के दाईं ओर, बाएँ ग्रेटर ट्रैकेटर, बाईं जांघ और सीने के दाईं ओर निप्पल के नीचे, विच्छेदन पर। त्वचा के नीचे भी कालापन पाया गया:

चोटें नुकीली और भोथरी वस्तु और बन्दूक से आई थीं। मृत्यु का कारण न्यूरोजेनिक शॉक था और मृत्यु की प्रकृति मानववध थी। डॉ. एस.एस. सिसोदिया

(अ.सा.-9) ने मृतक बलवंत के शव का शवपरीक्षण प्र.पी/41 के अनुसार किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:-

i) दाहिना पैर कटा हुआ था:

ii) बाएँ पैर पर 15 सेमी **x** 7 सेमी **x** हड्डी गहरा घाव जिसमें दोनों हड्डियाँ टूटी हुई थीं:

iii) बाएँ तर्जनी पर 1.5 सेमी **x** .5 सेमी का घाव। बाएँ हाथ कटा हुआ था:

iv) दाएँ नितंब पर 5 सेमी **x** 1 सेमी **x** मांसपेशी गहरा घाव:

v) दाएँ कंधे पर 5 सेमी **x** 2 सेमी **x** मांसपेशी गहरा घाव;

vi) गर्दन के पिछले हिस्से पर 8 सेमी **x** 2 सेमी **x** मांसपेशियों में गहराई और 5 सेमी **x** 2 सेमी **x** हड्डी में गहराई के दो कटे हुए घाव:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

vii) पश्चकपाल क्षेत्र पर 7 सेमी **x** 2 सेमी **x** हड्डी में गहराई का कटा हुआ घाव;

viii) बाईं मध्यमा उंगली पर 1.5 सेमी **x** 0.5 सेमी का खरोंच।

मृत्यु का कारण सदमा था और मृत्यु की प्रकृति मानववध थी। डॉ. एस.एस. सिसोदिया (अ.सा.-9) ने भी प्र.पी./42 के अनुसार घायल वेदराम का परीक्षण किया और नाक के नीचे, सीने के बाईं ओर और गाल पर 1/3 सेमी **x** 1/3 सेमी, 1 सेमी **x** सेमी के एक खरोंच और कई काले खरोंच के निशान, और बाएँ कंधे पर 2 सेमी **x** 1 सेमी का खरोंच पाया। चोटें बन्दूक से लगी थीं। उन्होंने खोरबहरा का भी परीक्षण किया, जिसमें प्र.पी./43 के अनुसार दाहिने अंगूठे और बाएँ मेटाकार्पोफ्लेगियार जोड़ पर कालापन पाया गया। यह संदेह था कि चोटें बंदूक

से लगी हैं। उन्होंने संतोष का भी परीक्षण किया, जिसमें प्र.पी./44 के अनुसार सिर और जांघ पर खरोंच के निशान पाए गए। घटनास्थल से प्र.पी./7 के अनुसार बाँस की डण्डा, खाली कारतूस, सादी और रक्तरंजित मिट्टी बरामद की गई। विवेचना के दौरान, अभियुक्तों को अभिरक्षा में लेकर उनका परीक्षण कराया गया। अभियुक्त मनोरथ प्र.पी/9, जगदीश प्र.पी./11, मिताऊ प्र.पी./13, त्रिलोचन प्र.पी./15, शैला राम प्र.पी./17, सुखचैन प्र.पी./19, चैतिया प्र.पी./21, पीला प्र.पी./23, दशरू प्र.पी./25, भानु प्र.पी./27, संतोष प्र.पी./33, दयाल दास प्र.पी./74, भल्लू प्र.पी./76 के स्वीकारोक्ति कथनों के आधार पर प्र.पी./10, पी/12, पी/14, पी/16, पी/18, पी/20, पी/22, पी/24, पी/26, पी/28, पी/29, पी/30, पी/31, पी/32, पी/34, पी/75, पी/76, पी/77 और पी/78 के माध्यम से हथियार जब्त किए गए। मृतक के सीलबंद कपड़े प्र.पी./68 से पी/70 के अनुसार जब्त किए गए। बालकदास से प्र.पी./38 के अनुसार एक रजिस्टर जब्त किया गया। जब्त वस्तुओं का चिकित्सक द्वारा परीक्षण किया गया। प्र.पी./62 और पी/63 के अनुसार घटनास्थल से खाली कारतूस, सादी और रक्तरंजित मिट्टी, बांस का डण्डा जब्त किया गया। प्र.पी./64 के अनुसार अभियुक्त प्रेमदास से कपड़े और एक कुल्हाड़ी जब्त की गई। प्र.पी./65 के अनुसार देवप्रसाद से एक 12 बोर की बंदूक और कारतूस जब्त किए गए। प्र.पी./71 और पी/72 के अनुसार अभियोग-पत्र के साथ रोजनामचे की प्रतियां भी प्रस्तुत की गईं, प्र.पी./22 के अनुसार विसरा जब्त किया गया। प्र.पी./81 के अनुसार जब्त वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भेजा गया और प्र.पी./87 से पी/90 के अनुसार अभियुक्तों से जब्त आयुधों पर रक्त की मौजूदगी की पुष्टि हुई।

4. साक्षियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एतस्मिन पश्चात जिसे 'संहिता' कहा जाएगा) की धारा 161 के अधीन दर्ज किए गए और विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर के न्यायालय में अभियोग- पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, बिलासपुर को उपार्पित किया,जहां से प्रकरण द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को सुनवाई हेतु स्थानांतरण पर प्राप्त हुआ ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन ने 22 साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के कथन संहिता की धारा 313 के अधीन भी दर्ज किए गए, जहां उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया और प्रश्नाधीन अपराध में स्वयं की निर्दोषता और झूठे प्रकरण में फंसाए जाने का अभिवाक किया।

6. पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरांत, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को उपरोक्तानुसार सिद्धदोष एवं दण्डित किया।

7. हमने अपीलार्थी क्रमांक 12 चंद्रभान के अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र पाण्डेय, अपीलार्थी क्रमांक 17 बिराजो बाई के अधिवक्ता श्री जी.पी. कुर्रे, राज्य/प्रत्यर्थी के शासकीय अधिवक्ता श्री आशीष शुक्ला को सुना, आक्षेपित निर्णय और विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया।

8. अपीलार्थी क्रमांक 12 चंद्रभान के अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र पाण्डेय और अपीलार्थी क्रमांक 17 बिराजो बाई के अधिवक्ता श्री जी.पी. कुर्रे ने तर्क दिया कि यद्यपि यह तीन व्यक्तियों की नृशंस हत्या का मामला है, किन्तु केवल तीन व्यक्तियों की हत्या के कारण, बिना किसी विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्य के नैतिक आधार पर अपीलार्थीगण पर दायित्व अधिरोपित नहीं किया जा सकता। शत्रुता और प्रतिद्वंद्विता के मामले में, अभियोजन अपने प्रकरण को संदेह की किसी भी छाया से परे साबित करने के लिए बाध्य है, विशेष रूप से इस आधार पर कि शत्रुता के मामले में, प्रतिद्वंद्वी समूह अपने विरोधी पक्ष को फंसाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से ज्ञात होता है कि बिराजो बाई के पास कोई हथियार नहीं था, उसने किसी व्यक्ति पर हमला नहीं किया है, वह घटनास्थल के पास अकेली मौजूद थी और उसने तीन व्यक्तियों की हत्या के सामान उद्देश्य में कोई विधिविरुद्ध जमाव नहीं किया था। इसी प्रकार, अपीलार्थी चंद्रभान ने भी कोई उपहति नहीं पहुँचाई है, वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, उसने तीन व्यक्तियों की हत्या के सामान उद्देश्य में कोई विधिविरुद्ध जमाव नहीं किया था, इसलिए,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

घटनास्थल के पास दर्शक या अजनबी के रूप में मौजूद अन्य साक्षियों और सहायता के लिए आवाज और झगड़े की आवाज सुनने वाले व्यक्तियों की तरह ही अपीलार्थी चंद्रभान को अपराध कारित करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

9. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और तर्क किया कि वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार, शिकायतकर्ता पक्ष तिवरा की फसल काट रहे थे, अपीलार्थी बिराजो बाई वह व्यक्ति थी जिसने शिकायतकर्ता पक्ष की हत्या के लिए अन्य सभी अभियुक्तों को बुलाया था, फिर सभी अपीलार्थी देशी पिस्टल, बंदूक और अन्य घातक आयुध कुल्हाड़ी और लाठियों से सुसज्जित होकर घटनास्थल पर आए और तीन व्यक्तियों की हत्या कारित की । यह तथ्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि सभी अपीलार्थी घातक आयुध से सुसज्जित होकर बिराजो बाई के कहने पर आए और तीन व्यक्तियों की हत्या हत्या कारित की, यह दर्शाता है कि उन्होंने हत्या कारित करने के सामान उद्देश्य सहित विधिविरुद्ध जमाव किया था और वे घातक आयुध से सुसज्जित थे और सामान उद्देश्य के अग्रसरण में विधिविरुद्ध जमाव किया उन्होंने तीन व्यक्तियों की हत्या कारित कर दी, जो निहत्थे थे और प्रतिरक्षा करने या सक्षम व्यक्तियों की सहायता लेने की स्थिति में नहीं थे।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों की विवेचना हेतु, हमने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का, विशेष रूप से अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत बचाव पक्ष के तर्कों के आलोक में, परीक्षण किया है। वर्तमान प्रकरण में, मृतक बलवंत, सावंत और विश्राम को कारित मृत्यु-पूर्व घातक चोटों के परिणामस्वरूप हुई हत्या की बात को अपीलार्थीगण की ओर से पर्याप्त रूप से चुनौती नहीं दी गई है, जबकि डॉ. एस.एस. सिसोदिया (अ.सा.-9) के साक्ष्य, सावंत प्र.पी./39 की शव-परीक्षण प्रतिवेदन, विश्राम प्र.पी./40 की शव-परीक्षण प्रतिवेदन और बलवंत प्र.पी./41 की शव-परीक्षण प्रतिवेदन से भी यह बात सिद्ध होती है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त मृतकों की मृत्यु की प्रकृति मानववध थी। अपीलार्थीगण की ओर से घायल वेदराम को घातक आयुध से लगी चोटों और संतोष को लगी साधारण चोटों के बारे में भी पर्याप्त रूप से कोई विवाद नहीं किया गया है, कुछ बातें डॉ. एस.एस.सिसोदिया (अ.सा.-9) के साक्ष्य और वेदराम प्र.पी./42 की चोट रिपोर्ट और संतोष प्र.पी./44 की चोट रिपोर्ट द्वारा भी स्थापित की गई हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. जहां तक विचाराधीन अपराध में अपीलार्थीगण की संलिप्तता का प्रश्न है, मूलतः सभी अपीलार्थीगण ने अपनी दोषसिद्धि की वैधता एवं औचित्य को चुनौती दी थी, किन्तु अपीलार्थी क्रमांक 1 से 11, 13 से 16 तथा 18 से 25 की सजा पूरी होने तथा समुचित सरकार द्वारा उन्हें प्रदत्त परिधर के बाद, संबंधित अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने विरुद्ध दायर अपील वापस ले ली थी तथा केवल

अपीलार्थी क्रमांक 12 एवं 17 की ओर से दायर अपील ही हमारे समक्ष विचारार्थ शेष रह गई है।

12. दोषसिद्धि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कुसुबा (अ.सा.-2), घायल साक्षी संतोष कुमार (अ.सा.-6), घायल साक्षी वेदराम (अ.सा.-15), कुटेलिया बेई (अ.सा.-17), मृतक सोवेंट की पत्नी, उत्तेजन (अ.सा.-18), मृतक सावंत के बेटे के साक्ष्य पर आधारित है, जिन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि मृतक सावंत, घायल संतोष और साक्षी कुटेलिया बाल अपने खेत में तिवरा की फसल काट रहे थे, अपीलार्थी बिराजो बाई गांव की सड़क (धरसा) से अपने घर की ओर जा रही थी, जिसने चिल्लाकर कहा कि दौडो-दौडो तेली भडुवा को मारो, शिकायतकर्ता पक्षकार और मृतक तेली जाति के थे। अपीलार्थी चंद्रभान सहित अभियुक्तगण सतनामी वार्ड से घटनास्थल की ओर दौड़े, उनके हाथ में बंदूक, पिस्तौल, कुल्हाड़ी और लाठियां थीं, चंद्रभान के हाथ में लाठी थी, घायल संतोष, मृतक सावंत और साक्षी कुटेलिया बोई ने अपने घर की ओर भागने की कोशिश की, तब सभी अभियुक्तों ने उन्हें घेर लिया और सावंत को घातक चोटें पहुंचाईं, उसी समय विश्राम, बलवंत पंचूराम और खरबाहरा भी आवाज सुनकर मदद के लिए घटनास्थल पर आ गए, अभियुक्तों ने बलवंत और विश्राम की भी हत्या कर दी और वेदराम और खरबाहरा को भी चोटें पहुंचाईं। अपीलार्थी भानु ने शिकायतकर्ता पक्ष पर गोली चलाई और पहले सावंत और फिर विश्राम को मार डाला और वेदराम को भी चोट पहुंचाई। अभियुक्त चिरौंजी ने बलवंत पर पिस्तौल से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गोली चलाई। सभी अभियुक्तों ने उपरोक्त तीन व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों पर हमला किया जिनकी मृत्यु हो गई उन्होंने ज़मीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच शत्रुता की बात स्वीकार की है। सभी साक्षी शिकायतकर्ता पक्ष के सदस्य हैं।

13. बेशक, वर्तमान प्रकरण में, कुछ साक्षी रिश्तेदार हैं और सभी विरोधी के कारण हितबद्ध साक्षी हैं, लेकिन केवल उनके संबंध या शत्रुता के आधार पर उनके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता। शत्रुता, हितबद्धता और संबंध के प्रकरण में, न्यायालय को शत्रुता के झूठे आरोप की संभावना को दूर करने के लिए उनके साक्ष्य की बारीकी से जाँच करनी होगी। आमतौर पर, कोई करीबी रिश्तेदार असली अपराधी को उजागर करने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाने में सबसे आखिर में शामिल होता है। शत्रुतापूर्ण साक्षियों में असली अपराधी के साथ-साथ अपने दुश्मन को भी फंसाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन असली अपराधी की कीमत पर नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन के अनुसार, 25 व्यक्तियों ने तीन मृतकों और दो घायल व्यक्तियों को चोटें पहुंचाईं। डॉ. एस.एस. सिसोदिया (अ.सा.-9) के साक्ष्य के अनुसार, मृतक सुवंत के शरीर पर लगभग 17 से 18 चोटें पाई गईं, मृतक विश्राम के शरीर पर 20 से अधिक चोटें पाई गईं, मृतक बलवंत के शरीर पर लगभग 20 चोटें पाई गईं, घायल वेदराम के शरीर पर 4 से अधिक चोटें, खोरबहरा

के शरीर पर दो चोटें और संतोष के शरीर पर दो चोटें पाई गईं। तीन मृतकों और दो घायल व्यक्तियों के शरीर पर भारी संख्या में चोटें पाई गईं।

15. विभिन्न आयुधों से 25 व्यक्तियों पर हमले के प्रकरण में, जिस व्यक्ति को भी चोट लगी है, उसके लिए यह बताना कठिन है कि किसने किस हथियार से किस व्यक्ति के शरीर के किस भाग पर चोट पहुँचाई है। यह अपवाद मात्र है कि साक्षी यह बताने की स्थिति में हों कि व्यक्ति/हमलावर कहाँ मौजूद था, उसके हाथ में कौन सा हथियार था और उसने किसे चोट पहुँचाई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. वर्तमान प्रकरण में, दोषसिद्धि मूलतः इस आधार पर है कि विधिविरुद्ध जमाव किया गया था जिसका सामान्य उद्देश्य सावंत, बलवंत और विश्राम की हत्या करना और अन्य व्यक्तियों को उपहति पहुँचाने जैसे सदोष मानववध कारित करना था तथा वे घातक आयुध से सुसज्जित थे।

17. वर्तमान प्रकरण में, उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि सबसे पहले चंद्रभान और अन्य अभियुक्त व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, अपीलार्थी क्रमांक 17 बिराजो, अपने घर आते समय सावंत और अन्य व्यक्तियों को तिवरा की फसल काटते हुए देखा, हो सकता है कि वे उसके खेत के न हों, तब उसने चिल्लाकर अपीलार्थीगण को शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला करने के

लिए बुलाया, तब सभी अपीलार्थी घटनास्थल पर आए, उनके हाथों में बंदूक, देसी पिस्तौल,कुल्हाड़ी और लाठी थी, सभी घातक आयुध से सुसज्जित थे। यह साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि अपीलार्थी क्रमांक 17 बिराजो के आदेश के तहत, सभी अपीलार्थी घातक आयुधों के साथ आए और उपरोक्त घायल व्यक्तियों पर हमला किया। यह वह मामला नहीं है जहां अपीलार्थी पहले से ही अपने काम जैसे कृषि कार्य के लिए मौजूद थे या अन्य आशय के लिए एकत्र हुए थे अपीलार्थी घातक हथियार लेकर आए थे, जैसे कुल्हाड़ी, लाठी, पिस्तौल और बंदूक, जो आम इस्तेमाल या आम धारण के लिए नहीं थे। उन्होंने मृतकों पर हमला किया। कुल्हाड़ी, बंदूक और देसी पिस्तौल लेकर और कुल्हाड़ी, बंदूक और पिस्तौल पकड़े हुए ऐसे समूह में शामिल होकर, विधिक तौर पर यह निश्चित अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्हें ज्ञान था या उनका सामान उद्देश्य व्यक्तियों की हत्या करना था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. विधिविरुद्ध जमाव का गठन एक तथ्य का प्रश्न है और अभियोजन को विधिविरुद्ध जमाव के गठन और उसके सामान उद्देश्य को साबित करना आवश्यक है। विधिविरुद्ध जमाव किसी भी समय गठित किया जा सकता है और व्यक्ति किसी भी समय विधिविरुद्ध जमाव में शामिल हो सकता है, यहाँ तक कि उपहति पहुँचाने के समय भी, लेकिन अभियोजन को ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके उपरोक्त तथ्य को साबित करना आवश्यक है कि व्यक्तियों ने विधिविरुद्ध जमाव किया है या विधिविरुद्ध जमाव में शामिल हुए हैं जिसका सामान उद्देश्य उपरोक्त

अपराध को अंजाम देना था। केवल एक अजनबी, राहगीर या झगड़ा या घटना देखने के लिए मौके पर एकत्रित होने के कारण ही व्यक्ति विधिविरुद्ध जमाव के गठन या अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

19. विधिविरुद्ध जमाव के गठन के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **चंद्र बिहारी गौतम व अन्य विरुद्घ बिहार राज्य**[1] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विधिविरुद्ध जमाव का गठन किसी भी क्षण हो सकता है तथा यहाँ तक कि अभियुक्तों द्वारा एकत्रित होने पर भी विधिविरुद्ध जमाव हो सकता है, लेकिन विधिविरुद्ध जमाव के सामान उद्देश्य का अस्तित्व प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय का कण्डिका 6 निम्नानुसार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 6. वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया गया है कि यदि घटना अभियोजन पक्ष द्वारा कथित तरीके से घटित हुई मानी जाती है और अभियुक्तों को मौके पर देखा गया था, तब भी उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता और सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि अभियोजन पक्ष कथित रूप से अभियुक्तों को स्थापित करने में विफल रहा। धारा 149 दाण्डिक विधि का एक अपवाद है जिसके तहत किसी व्यक्ति को उसके प्रतिनिधि

1 JT 2002 (4) 62

दायित्व के लिए केवल तभी दोषी ठहराया जा सकता है और सजा दी जा सकती है जब यह साबित हो जाए कि वह विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य था और उसका उद्देश्य एक ही था, भले ही उसने वास्तव में अपराध में भाग लिया हो या नहीं। सामान्य उद्देश्य के लिए हमले से पहले पूर्व सहमति और विचारों की एक ही बैठक की आवश्यकता नहीं होती है। अभियुक्तों के एकत्र होने के बाद भी एक विधिविरुद्ध उद्देश्य विकसित हो सकता है। प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अस्तित्व का पता लगाना आवश्यक है। यह सच है कि अभियुक्तों की मात्र उपस्थिति उन्हें सामान्य उद्देश्य समान करने के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष को यह भी स्थापित करना होगा कि वे केवल मूकदर्शक नहीं थे बल्कि वास्तव में सामान्य उद्देश्य में भागीदार थे। जब बड़ी संख्या में व्यक्तियों द्वारा एक साथ हमला किया जाता है, तो अक्सर यह मुश्किल होता है। प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई वास्तविक भूमिका का निर्धारण करने के लिए, लेकिन इसी कारण से, विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किए गए अपराध के लिए, या ऐसे अपराध के लिए जिसके बारे में ज्ञात था कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति में किया जाना संभावित है, सदस्य होने का प्रावधान करने वाले व्यक्ति उस कार्य को करने से उत्पन्न होने वाले परिणामों से बच नहीं सकते जो अपराध की श्रेणी में आता है। अचानक हुई लड़ाई में कोई सामान्य उद्देश्य नहीं हो सकता है, लेकिन पीड़ित पर योजनाबद्ध हमले में, विधिविरुद्ध जमाव बनाने वाले व्यक्तियों के बीच सामान्य उद्देश्य की उपस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पांडुरंग चंद्रकांत म्हात्रे विरुद्घ महाराष्ट्र राज्य**[2] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि हमले से पहले और हमले के समय, विधिविरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य का आचरण सुसंगत पहलू है। विधिविरुद्ध जमाव का उद्देश्य तथ्य का प्रश्न है जिसका निर्धारण जमाव की प्रकृति, सदस्यों द्वारा धारण किए गए आयुधों और घटनास्थल पर या उसके निकट सदस्यों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत, केवल मौके पर उपस्थिति ही व्यक्ति को अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगी।

2 (2009) 10 SCC 773

21. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मसलती विरुद्घ उत्तर प्रदेश राज्य**[3] के प्रकरण में कण्डिका 17 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

> "17..... किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जिस पर विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होने का आरोप है, यह साबित करना होगा कि वह जमाव बनाने वाले व्यक्तियों में से एक था और उसने जमाव के अन्य सदस्यों के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 141 द्वारा परिभाषित सामान्य उद्देश्य को अपनाया था। धारा 142 में प्रावधान है कि जो कोई भी, ऐसे तथ्यों से अवगत होते हुए जो किसी जमाव को विधिविरुद्ध जमाव बनाते हैं, जानबूझकर उस जमाव में शामिल होता है, या उसमें बना रहता है, उसे विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, धारा 141 के पांच खंडों द्वारा निर्दिष्ट एक या अधिक सामान्य उद्देश्यों से प्रेरित और उन्हें अपनाते हुए पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधिविरुद्ध जमाव है। ऐसे प्रकरण में निर्धारित करने का महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या जमाव पांच या अधिक व्यक्तियों से बना था और क्या उक्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3 AIR 1965 SC 202

व्यक्तियों ने धारा 141 द्वारा निर्दिष्ट एक या अधिक सामान्य उद्देश्यों को अपनाया था। 141. इस प्रश्न का निर्धारण करते समय, यह विचार करना सुसंगत हो जाता है कि क्या सभा में कुछ ऐसे व्यक्ति शामिल थे जो केवल निष्क्रिय साक्षी थे और सभा के सामान्य उद्देश्य को ध्यान में रखे बिना, केवल जिज्ञासावश सभा में शामिल हुए थे।"

22. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शेरे विरुद्घ उत्तर प्रदेश राज्य**[4], के प्रकरण में कण्डिका 4 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"4... लेकिन जब बड़ी संख्या में व्यक्तियों के विरुद्ध एक सामान्य आरोप हो, तो न्यायालय स्वाभाविक रूप से ऐसे अस्पष्ट साक्ष्यों के आधार पर उन सभी को दोषी ठहराने में हिचकिचाता है। इसलिए हमें कोई ऐसी उचित परिस्थिति नहीं मिली है जो आश्वासन दे सके। इस दृष्टिकोण से, केवल उपर्युक्त नौ अभियुक्तों को ही दोषी ठहराना सुरक्षित है, जिनकी उपस्थिति का न केवल प्रथम सूचना प्रतिवेदन के चरण से

4 1991 Supp (2) SCC 437

लगातार उल्लेख किया गया है, बल्कि जिन पर अन्य कृत्यों का भी आरोप लगाया गया है।"

23. विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों की प्रत्यक्ष कार्रवाई या सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता के प्रश्न पर विचार करते हुए, **लालजी व अन्य विरुद्घ उत्तर प्रदेश राज्य**[5] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक बार जब विधिविरुद्ध जमाव का गठन स्थापित हो जाता है, तो विधिविरुद्ध जमाव के किसी भी सदस्य की प्रत्यक्ष कार्रवाई या सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती है और हिंसा की उचित आशंका से जुड़े सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए पांच या अधिक व्यक्तियों का मिलना, यहां तक कि कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई किए बिना भी अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त है। उक्त निर्णय के कण्डिका 8 और 9 निम्नानुसार हैं:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"8. भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में प्रावधान है कि यदि किसी विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु कोई अपराध किया जाता है, या ऐसा अपराध जिसके बारे में जमाव के सदस्यों को पता था कि उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाना संभावित है, तो प्रत्येक

5 (1989) 1 SCC437

व्यक्ति, जो उस अपराध को करते समय उसी जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी है। जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में परिभाषित किया गया है, पाँच या अधिक व्यक्तियों का जमाव "विधिविरुद्ध जमाव" कहलाता है, यदि उस जमाव में शामिल व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य उस धारा के खंड "प्रथम", "द्वितीय", "तृतीय", "चतुर्थ" और "पंचम" में वर्णित कोई कार्य या कार्य करना है। जैसा कि धारा के स्पष्टीकरण में कहा गया है, कोई जमाव, जो इकट्ठा होने के समय विधिविरुद्ध नहीं था, बाद में विधिविरुद्ध जमाव बन सकता है। जो कोई ऐसे तथ्यों से अवगत होते हुए जो किसी जमाव को विधिविरुद्ध जमाव बनाते हैं, जानबूझकर उस जमाव में शामिल होता है, या उसमें बना रहता है, वह किसी व्यक्ति को विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य कहा जाता है। इस प्रकार, जब भी पाँच या उससे अधिक व्यक्ति, विरोध के बावजूद भी, एक-दूसरे का समर्थन करने के लिए, किसी ऐसे सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकत्रित होते हैं जिसमें हिंसा शामिल होने की संभावना हो या जिससे विवेकशील और दृढ़ निश्चयी व्यक्तियों के मन में हिंसा की कोई उचित आशंका उत्पन्न हो, तो भले ही वे अंततः अपने सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ भी किए बिना ही चले जाएँ,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उनका इस प्रकार मिलना मात्र एक अपराध माना जाएगा। बेशक, यह भय केवल इतना ही नहीं होना चाहिए कि किसी मूर्ख या डरपोक व्यक्ति को भयभीत कर दे, बल्कि ऐसा होना चाहिए जो उचित दृढ़ता और साहस वाले व्यक्तियों को भयभीत कर दे। इस धारा के दो आवश्यक तत्व हैं: किसी विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा अपराध किया जाना और यह कि ऐसा अपराध उस जमाव के सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया हो या ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में उस जमाव के सदस्यों को पता हो कि ऐसा अपराध किया जा सकता है। हर व्यक्ति अनिवार्य रूप से दोषी नहीं होता, बल्कि केवल वे ही दोषी होते हैं जो सामान्य उद्देश्य में भागीदार होते हैं। जमाव का सामान्य उद्देश्य भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में उल्लिखित पाँच उद्देश्यों में से एक होना चाहिए। विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित से प्राप्त किया जा सकता है: सभा की प्रकृति, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार और घटनास्थल पर या उससे पहले सभा का व्यवहार। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निकाला जाने वाला एक अनुमान है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. धारा 149, अपराध करते समय किसी विधिविरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य को उस अपराध का दोषी बनाती है। इस प्रकार यह धारा एक विशिष्ट और भिन्न अपराध का सृजन करती है। दूसरे शब्दों में, इसने उस जमाव के किसी अन्य सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किए गए विधिविरुद्ध कार्यों के लिए उस जमाव के सदस्यों पर एक रचनात्मक या प्रतिनिधिक दायित्व निर्मित किया। हालाँकि, विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों का प्रतिनिधिक दायित्व केवल विधिविरुद्ध जमाव के समान उद्देश्यों के अनुसरण में किए गए कार्यों तक, या ऐसे अपराधों तक ही विस्तारित होता है जिनके बारे में विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों को उस उद्देश्य के कार्यान्वयन में किए जाने की संभावना का पता था। एक बार जब किसी व्यक्ति का मामला इस धारा के अंतर्गत आता है, तो यह प्रश्न कि उसने अपने हाथों से कुछ नहीं किया, अवास्तविक हो जाएगा। वह यह बचाव प्रस्तुत नहीं कर सकता कि उसने अपने हाथों से विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के कार्यान्वयन में किया गया अपराध नहीं किया, या ऐसा अपराध नहीं किया जिसके बारे में जमाव के सदस्यों को उस उद्देश्य के कार्यान्वयन में किए जाने की संभावना का पता था। प्रत्येक व्यक्ति को उन कार्यों के संयोजन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के संभावित और स्वाभाविक परिणामों का आशय रखने वाला माना जाना चाहिए जिनमें वह शामिल था। यह आवश्यक नहीं है कि विधिविरुद्ध जमाव बनाने वाले सभी व्यक्ति कोई प्रत्यक्ष कार्य करें। जब अभियुक्तगण लाठियों से सुसज्जित होकर एकत्रित हुए और शिकायतकर्ता पक्ष पर हमले में शामिल थे, तो अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए बाध्य नहीं है कि अभियुक्तों में से किस व्यक्ति ने कौन-सा विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य किया था। यह धारा विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य को प्रत्येक व्यक्ति और सभी के कार्यों के लिए केवल इसलिए उत्तरदायी बनाती है क्योंकि वह विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य है। जबकि प्रत्यक्ष कार्य और सक्रिय भागीदारी अपराध करने वाले व्यक्ति के सामान्य उद्देश्य का संकेत दे सकती है, विधिविरुद्ध जमाव में मात्र उपस्थिति धारा 149 के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप से आपराधिक दायित्व को सुनिश्चित कर सकती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 149 के अंतर्गत रचनात्मक अपराध का आधार अपेक्षित सामान्य उद्देश्य या ज्ञान के साथ विधिविरुद्ध जमाव की मात्र सदस्यता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24 विधिविरुद्ध जमाव की आशय/सामान्य उद्देश्य के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्घ दान सिंह व अन्य**[6] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि हमला करने वाले पक्ष के सदस्यों की आशय का पता चोटों की संख्या, प्रकृति और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार से लगाया जा सकता है। एक जमाव जो शुरू में अनुचित लगता है, बाद में विधिविरुद्ध हो सकता है। उक्त निर्णय के कण्डिका 30 और 31 निम्नानुसार हैं:

> "30. उच्च न्यायालय द्वारा पाए गए उपरोक्त तथ्यों से, आइए हम जांच करें कि क्या कोई विधिविरुद्ध जमाव थी और उसका सामान्य उद्देश्य क्या था। यह संभव है कि जिस समय "डोली" रोकी गई थी उस समय कोई विधिविरुद्ध जमाव मौजूद नहीं थी। फिर भी सभी प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य के अनुसार, बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां एकत्र हुए थे और उनके पास लाठी-डंडे थे। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 141 की व्याख्या के अनुसार, एक सभा जो एकत्रित होते समय विधिविरुद्ध नहीं है, बाद में एक विधिविरुद्ध जमाव बन सकती है। जैसा कि इस न्यायालय ने लालजी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य [1] में कहा है, "विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6 (1997) 3 SCC 747

सभा की प्रकृति, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए आयुधों और घटनास्थल पर या उससे पहले सभा के व्यवहार से समझा जा सकता है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निकाला जाने वाला एक निष्कर्ष है।" वर्तमान मामले में जो हुआ वह ठीक वैसा ही है जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 141 की व्याख्या में परिकल्पित किया गया है। खीमा नंद के घायल होने के साथ ही, चारों ओर कोहराम मच गया। दोनों को जलाकर मार डालने की मांग की गई, और ठीक यही हुआ। बारात पर ग्रामीणों ने हमला किया। बारात के छह सदस्यों को जला दिया गया, जिनमें से पाँच को गाँव के एकमात्र डोम जो वहाँ का निवासी था को घर में बंद कर दिया गया था, जिसका घर भी जला दिया गया था। आठ अन्य लोगों का पीछा किया गया और फिर बेरहमी से पीटा गया और गाँव में कहीं और मार डाला गया। हम यह समझने में असफल हैं कि इन परिस्थितियों में कोई भी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँच सकता है कि डोमों की हत्या के सामान्य उद्देश्य वाली कोई विधिविरुद्ध जमाव मौजूद नहीं थी, जबकि चौदह लोगों को लाठी या पत्थर से ज़्यादा घातक किसी हथियार का इस्तेमाल किए बिना ही मार दिया गया। मरने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वाले लोगों की चोटों की संख्या को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि हमले में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे होंगे। भले ही ग्रामीणों का जमाव शुरू में वैध रहा हो, वही, निस्संदेह, विधिविरुद्ध हो गया जब खीमा नंद के घायल होने के बाद बलवा शुरू हुआ। सभी प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि हमले में पचास या उससे अधिक ग्रामीणों ने भाग लिया था। सभा के सदस्य कौन थे, इस पर बाद में विचार किया जाएगा, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब घटना शुरू हुई, तब बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठी-डंडों से सुसज्जित होकर मौजूद थे और जिन छह लोगों को जला दिया गया, उन्हें छोड़कर आठ अन्य को लाठी, डंडों और पत्थरों से पीट-पीटकर मार डाला गया। उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को समझना मुश्किल है कि, परिस्थितियों के अनुसार, हमलावरों का उद्देश्य संभवतः एक जैसा था, लेकिन एक सामान्य उद्देश्य नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. यह तर्क दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि पूरी घटना के दौरान विधिविरुद्ध जमाव मौजूद था। यह स्वीकार करना संभव नहीं है, क्योंकि गाँव में बारातियों के केवल चौदह शव ही बचे थे। बारातियों के केवल

वे सदस्य ही अपनी जान बचा पाए जो भाग गए थे। इस मामले में हम केवल यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक विधिविरुद्ध जमाव था जिसने बारातियों पर हमला किया और जिसका एक ही उद्देश्य था कि उन्हें मार डाला जाए, और वे अपने प्रयास में काफी हद तक सफल भी रहे।"

25. विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों के प्रत्यक्ष कृत्य के सामान्य उद्देश्य और आवश्यकता के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **गंगाधर बेहरा व अन्य विरुद्घ उड़ीसा**[7] राज्य के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि सामान्य उद्देश्य से संबंधित साक्ष्य सामान्यतः उपलब्ध नहीं होते हैं और उन्हें किए गए कृत्य और उसके परिणाम से एकत्रित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, एक बार जमाव बन जाने के बाद, जमाव के किसी भी सदस्य का प्रत्यक्ष कृत्य एकत्रित नहीं होता है और यहाँ तक कि जो जमाव शुरू में वैध लगता है, वह भी बाद में अवैध हो सकता है। उक्त निर्णय के कण्डिका 22, 23व 24 निम्नानुसार हैं:-

22. एक अन्य तर्क जिस पर ज़ोर दिया गया, वह इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 149, रचनात्मक दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए लागू होती

7 (2002) 8 SCC 381

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

है, जो इसके संचालन के लिए अनिवार्य शर्त है। यहाँ ज़ोर सामान्य उद्देश्य पर है, सामान्य उद्देश्य पर नहीं। किसी विधिविरुद्ध जमाव में केवल उपस्थिति मात्र से किसी व्यक्ति को तब तक उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि कोई सामान्य उद्देश्य न हो और वह उस सामान्य उद्देश्य से प्रेरित न हुआ हो और वह उद्देश्य धारा 141 में वर्णित उद्देश्यों में से एक न हो। जहाँ किसी विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, वहाँ अभियुक्तों को धारा 149 के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह निर्धारित करने का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या जमाव में पाँच या अधिक व्यक्ति शामिल थे और क्या उक्त व्यक्तियों ने धारा 141 में निर्दिष्ट एक या अधिक सामान्य उद्देश्यों को पूरा किया था। विधि के सामान्य प्रस्ताव के रूप में यह प्रतिपादित नहीं किया जा सकता कि जब तक किसी व्यक्ति, जिस पर विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होने का आरोप है, के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष कार्य सिद्ध न हो जाए, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि वह जमाव का सदस्य है। केवल यह आवश्यक है कि उसे यह समझ लेना चाहिए था कि जमाव विधिविरुद्ध था और उसके धारा 141 के अंतर्गत आने वाले किसी भी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कार्य को करना। "उद्देश्य" शब्द का अर्थ उद्देश्य या योजना है और इसे "सामान्य" बनाने के लिए, इसे सभी द्वारा समान किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उद्देश्य उन सभी व्यक्तियों के लिए समान होना चाहिए जो सभा का गठन करते हैं, अर्थात्, वे सभी इसके बारे में जानते हों और इसमें सहमत हों। आपसी परामर्श के बाद स्पष्ट सहमति से एक सामान्य उद्देश्य बनाया जा सकता है, लेकिन यह किसी भी तरह से आवश्यक नहीं है। इसे सभा के सभी या कुछ सदस्यों द्वारा किसी भी स्तर पर बनाया जा सकता है और अन्य सदस्य बस इसमें शामिल हो सकते हैं और इसे अपना सकते हैं। एक बार बन जाने के बाद, इसे वैसा ही बने रहने की आवश्यकता नहीं है। इसे किसी भी स्तर पर संशोधित, परिवर्तित या त्यागा जा सकता है। धारा 149 में उल्लिखित "सामान्य उद्देश्य के कार्यान्वयन में" अभिव्यक्ति को सख्ती से "सामान्य उद्देश्य प्राप्त करने के लिए" के समतुल्य समझा जाना चाहिए? उद्देश्य की प्रकृति के आधार पर इसे सामान्य उद्देश्य से तुरंत जोड़ा जाना चाहिए। उद्देश्य का की समानता होना आवश्यक है और उद्देश्य केवल एक विशेष चरण तक ही अस्तित्व में रह सकता है, उसके बाद नहीं। विधिविरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जमाव के सदस्यों के उद्देश्यों में एक निश्चित सीमा तक समानता हो सकती है, जिसके बाद उनके उद्देश्यों में भिन्नता हो सकती है, तथा प्रत्येक सदस्य को अपने सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले संभावित अपराध के बारे में जो ज्ञान है, वह न केवल उसके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार भिन्न हो सकता है, बल्कि इस सीमा तक भी भिन्न हो सकता है कि वह किस सीमा तक उद्देश्यों में समानता रखता है, और इसके परिणामस्वरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 149 का प्रभाव एक ही जमाव के विभिन्न सदस्यों पर भिन्न हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. "सामान्य उद्देश्य" "समान आशय" से भिन्न है क्योंकि इसके लिए हमले से पहले किसी पूर्व सहमति और विचारों का एक समान मेल की आवश्यकता नहीं होती। यदि प्रत्येक का उद्देश्य एक ही हो और उनकी संख्या पाँच या उससे अधिक हो और वे उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक समूह के रूप में कार्य करें, तो यह पर्याप्त है। किसी जमाव का "सामान्य उद्देश्य" उसके सदस्यों के कार्यों और भाषा से, और आसपास की सभी परिस्थितियों पर विचार करके निर्धारित

किया जाना चाहिए। यह जमाव के सदस्यों द्वारा अपनाए गए आचरण से ज्ञात किया जा सकता है। घटना के किसी विशेष चरण में विधिविरुद्ध समूह का सामान्य उद्देश्य क्या है, यह अनिवार्य रूप से एक तथ्यात्मक प्रश्न है जिसका निर्धारण समूह की प्रकृति, सदस्यों द्वारा धारण किए गए आयुधों और घटनास्थल पर या उसके आसपास सदस्यों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। विधि के तहत यह आवश्यक नहीं है कि विधिविरुद्ध समूह के सभी मामलों में, एक विधिविरुद्ध सामान्य उद्देश्य के साथ, उसे कार्यान्वित किया जाए या सफल बनाया जाए। धारा 141 के स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई भी जमाव जो एकत्रित होने के समय विधिविरुद्ध नहीं था, बाद में विधिविरुद्ध हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी जमाव को विधिविरुद्ध बनाने के लिए आवश्यक आशय या उद्देश्य शुरू से ही अस्तित्व में आ जाए। विधिविरुद्ध आशय बनाने का समय महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी जमाव जो अपने आरंभ में या उसके बाद कुछ समय के लिए भी वैध हो, बाद में अवैध हो सकता है। दूसरे शब्दों में, यह घटना के दौरान, मौके पर या तुरंत, विकसित हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. भारतीय दंड संहिता की धारा 149 दो भागों में विभाजित है। धारा के पहले भाग का अर्थ है कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला अपराध ऐसा होना चाहिए जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया हो। अपराध को पहले भाग के अंतर्गत आने के लिए, अपराध का उस विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य से प्रत्यक्ष संबंध होना आवश्यक है जिसका अभियुक्त सदस्य था। यदि किया गया अपराध जमाव के सामान्य उद्देश्य के प्रत्यक्ष अभियोजन में न भी हो, तब भी वह धारा 141 के अंतर्गत आ सकता है, यदि यह माना जा सके कि अपराध ऐसा था जिसके बारे में सदस्यों को पता था कि वह किया जा सकता है और धारा के दूसरे भाग में यही अपेक्षित है। जिस उद्देश्य के लिए जमाव के सदस्य निकले थे या जिसे प्राप्त करने की इच्छा रखते थे, वही उद्देश्य है। यदि सभी सदस्यों द्वारा वांछित उद्देश्य एक ही है, तो जिस उद्देश्य की प्राप्ति की जा रही है, उसका ज्ञान सभी सदस्यों द्वारा समान किया जाता है और वे इस बात पर सामान्य रूप से सहमत होते हैं कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए और अब यही जमाव का सामान्य उद्देश्य है। एक उद्देश्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मानव मन में होता है, और चूँकि यह केवल एक मानसिक प्रवृत्ति है, इसलिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सकता और आशय की तरह, इसे सामान्यतः उस कार्य से प्राप्त किया जाना चाहिए जो व्यक्ति करता है और उसके परिणाम से। यद्यपि परिस्थितियों के आधार पर कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता जिससे सामान्य उद्देश्य का पता लगाया जा सके, इसे उचित रूप से सभा की प्रकृति, उसके द्वारा धारण किए गए आयुधों और घटनास्थल पर, उसके पहले या बाद के व्यवहार से प्राप्त किया जा सकता है। धारा की दूसरी शाखा में प्रयुक्त शब्द "जानता था" एक संभावना से अधिक कुछ दर्शाता है और इसे "ज्ञात हो सकता था" का अर्थ नहीं दिया जा सकता। सकारात्मक ज्ञान आवश्यक है। जब सामान्य उद्देश्य के लिए कोई अपराध किया जाता है, तो सामान्यतः वह ऐसा अपराध होगा जिसके बारे में विधिविरुद्ध सभा के सदस्यों को पता था कि सामान्य उद्देश्य के लिए ऐसा अपराध किया जाना संभावित है। हालाँकि, इससे विपरीत कथन सत्य नहीं हो जाता; ऐसे मामले हो सकते हैं जो दूसरे भाग में आते हैं लेकिन पहले भाग में नहीं। धारा 149 के दोनों भागों के बीच के अंतर को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नज़रअंदाज़ या मिटाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मामले में यह निर्धारित किया जाने वाला मुद्दा होगा कि क्या किया गया अपराध पहले भाग के अंतर्गत आता है या यह ऐसा अपराध था जिसके बारे में सभा के सदस्यों को पता था कि सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में इसका किया जाना संभावित है और यह दूसरे भाग के अंतर्गत आता है। हालाँकि, ऐसे मामले हो सकते हैं जो पहले भाग के अंतर्गत आते हैं, सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध आम तौर पर, यदि हमेशा नहीं, तो दूसरे भाग के अंतर्गत आते हैं, अर्थात, ऐसे अपराध जिनके बारे में पक्षकारों को पता था कि सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में उनका किया जाना संभावित है। (देखें चिक्कारंग गौड़व, मैसूर राज्य 25)"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. उपर्युक्त मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में, विधिविरुद्ध जमाव के गठन के लिए पाँच या पाँच से अधिक सदस्यों की आवश्यकता होती है, उनके सामान्य उद्देश्य अपराध के लिए होने चाहिए जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में परिकल्पित है। वैध रूप से गठित भीड़ किसी भी समय विधिविरुद्ध जमाव में परिवर्तित हो सकती है। आम तौर पर विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य से संबंधित साक्ष्य संभव नहीं है। यह विधिविरुद्ध जमाव

द्वारा किए गए कार्य और ऐसे कार्य के परिणाम से अनुमान लगाया जा सकता है, एक बार यह साबित हो जाता है कि विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया गया है, तो विधिविरुद्ध जमाव के किसी भी सदस्य की कोई भी स्पष्ट कार्रवाई या सक्रिय भागीदारी आवश्यक नहीं है। सभी सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अनुसार अपराध कारित ए जाने या विधिविरुद्ध जमाव के किसी भी सदस्य द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे।

27. यदि हमने उपरोक्त विधिक सिद्धांतों के आलोक में वर्तमान प्रकरण का परीक्षण करें, तो यह स्पष्ट होगा कि मृतक सावंत, घायल संतोष, साक्षी कुटेलिया बाई अपने खेत में तिवरा की फसल काट रहे थे, अपीलार्थी क्रमांक 17 बिराजो बाई ने अन्य 24 अभियुक्तों को बुलाया और कहा कि मारो तेली भड़वा को। शिकायतकर्ता पक्ष तेली जाति के है, 24 अभियुक्त मौके पर पहुंचे। मृतक सावंत, घायल संतोष और कुटेलिया बाई ने मौके से भागने की कोशिश की। अभियुक्त भानु बंदूक पकड़े हुए था, अभियुक्त चिरौंजी पिस्तौल पकड़े हुए था, अभियुक्त नेतु; माधो, भागवत, संतोष, दयाल, मनोरथ, दामला, दसरू, शैला, जगदीश, त्रिलोचन, तिजाऊ, सुखचाय चैतिया, पीला और मंगलू कुल्हाड़ी की कुल्हाड़ी लिए हुए थे और अपीलार्थी क्रमांक 12 चंद्रभान सहित बाकी अभियुक्त लाठियां लिए हुए थे, उन्होंने सावंत और संतोष को घेर लिया, उन्होंने आग्नेयास्त्र, घातक हथियार कुल्हाड़ी की कुल्हाड़ी और लाठियों से सावंत की हत्या कर दी। जब घायलों ने अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए बुलाया,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तब उन्होंने बलवंत और विश्राम को भी आग्नेयास्त्र, घातक हथियार कुल्हाड़ी की कुल्हाड़ी और लाठियों से मार डाला और अन्य दो घायलों को भारी संख्या में चोटें पहुंचाईं। ये सबूत इस तथ्य को स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी क्रमांक 17 बिराजो बाई के कहने पर, सभी अभियुक्त मौके पर आए, वे घातक आयुधों से सुसज्जित थे, उन्होंने मौके पर पड़ी वस्तु नहीं ली, लेकिन वे आग्नेयास्त्र, तेज धार वाले हथियार और लाठियों के साथ आए, वे मौके पर इकट्ठा हुए और उन्होंने बेरहमी से हमला किया और तीन लोगों की हत्या कर दी।

28. आग्नेयास्त्र, कुल्हाड़ी,और लाठियों से सुसज्जित पाँच से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना ही यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि वे किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्र हुए हैं और उनका उद्देश्य आग्नेयास्त्र और अन्य घातक आयुधों से उस व्यक्ति की हत्या कारित करना था। आग्नेयास्त्र, घातक आयुधों, कुल्हाड़ी, और लाठियों से हमले की स्थिति में, वह व्यक्ति जिसे उपहति पहुँची हो या जिसके पति/रिश्तेदार को चोट लगी हो और अंततः उसकी मृत्यु हो गई हो, चोट का विवरण, प्रयुक्त आयुधों का विवरण और प्रभावित शरीर के अंग का विवरण देना संभव नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. ये साक्ष्य इस तथ्य को स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं कि सभी अपीलार्थीगण ने विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया था जिसका सामान्य उद्देश्य सावंत, बलवंत और विश्राम की हत्या के बराबर गैर इरादतन हत्या करना और वेदराम और संतोष को चोट पहुँचाना था और विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य

को के अग्रसरण में, उन्होंने या विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों ने वेदराम और संतोष को घातक चोटें पहुँचाईं और सावंत, बलवंत और विश्राम की मृत्यु कारित की।

30. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी क्रमांक 12 चंद्रभान और अपीलार्थी क्रमांक 17 बिराजो बाई विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य थे जिसका सामान्य उद्देश्य सावंत, बलवंत और विश्राम की हत्या समान सदोष मानववध जो हत्या नहीं है कारित करना था और वेदराम और संतोष को चोट पहुँचाना था। अतः, अपीलार्थी क्रमांक 12 और 17, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अनुसार, विधिविरुद्ध जमाव द्वारा किए गए अपराध के लिए उत्तरदायी हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात, विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अपीलार्थी क्रमांक 12 चंद्रभान और अपीलार्थी क्रमांक 17 बिराजो बाई ने घातक आयुधों से सुसज्जित अन्य 23 सदस्यों के साथ विधिविरुद्ध जमाव किया था, जिसका सामान्य उद्देश्य सावंत, बलवंत और विश्राम हत्या समान सदोष मानववध जो हत्या नहीं है कारित करना था और वेदराम तथा संतोष को चोट पहुँचाना था। इस विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में, उन्होंने सावंत, बलवंत और विश्राम की सदोष मानववध जो हत्या नहीं है कारित की और वेदराम तथा संतोष को चोट पहुँचाई। विचारण न्यायालय का निष्कर्ष विधिक, निर्णायक और विधि के अंतर्गत विश्वसनीय

साक्ष्यों पर आधारित है। इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, विचारण न्यायालय ने कोई अवैधता नहीं की है और अपीलार्थीगण को उपरोक्त अपराध के लिए उचित रूप से दोषी ठहराया है। विचारण न्यायालय ने विधि के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा भी सुनाई है।

32. उपरोक्त कारणों से, हमें आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधानिकता नहीं दिखती। अपील में कोई सार नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाता है। अपीलार्थी क्रमांक 12 चंद्रभान अभिरक्षा में है, लेकिन अपीलार्थी क्रमांक 17 बिराजो बाई जमानत पर है, इसलिए उसे सत्र प्रकरण क्रमांक 156/86 में दि ए गए दण्ड की शेष अवधि भुगतने के लिए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के समक्ष तत्काल आत्मसमर्पण करना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(टी.पी. शर्मा)
न्यायाधीश

सही/-
(एन.के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ; Vikeshveri